



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.11.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चौबेपुर में लड़ाई-झगड़ा करने के मामले से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-19A/1994 धारा 323,504,325 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त अंजनी कुमार उर्फ पंचम पुत्र खरपतू निवासी सीओं थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-28.11.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-06 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त अंजनी कुमार उर्फ पंचम उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323 भा0द0वि0 में जेल में बितायी गयी अवधि व 300/- अर्थदण्ड से, धारा 504 भा0द0वि0 में 200/- अर्थदण्ड से व धारा 325 भा0द0वि0 में 500/-रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।